आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2007

संख्या एफ.8(4) आ. प्र. एवं. सं. आ./आ. प्र./03/19361:—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप—धारा (1) द्वारा प्रवन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करती है जिसे उस जिले के आपदा प्रबन्धन के नाम से जाना जावेगा। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

 जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में विरष्टतम अधिकारी सदस्य 	1.	कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
 जिला पुलिस अधीक्षक सदस् जिला पुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस् सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में विरष्टतम अधिकारी सदस्य 	2.	अध्यक्ष, जिला परिषद	सह—अध्य
 जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में विरिष्ठतम अधिकारी सदस्य 	3.	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
 सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में विरिष्टतम अधिकारी सदस्य 	4.	जिला पुलिस अधीक्षक	संदस्य
m · ·	5.	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7. जल संसाधन विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य	6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
	7.	जल संसाधन विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

435(3)

आपदा प्रकक्षन अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) में प्रावधान के अनुसार खंबिधित जिले के अतिरिवत जिला दण्डनायक को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।

Disaster Management & Relief Department

NOTIFICATION

Jaipur, September 6, 2007

F.8 (4) DM & R/DM/03/19361.—In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 the State Government hereby establish District Disaster Management Authorities one for each district which shall be known by the name of the district, to discharge the powers and functions of the District Disaster Management Authority under the said Act. The members of the said Authority are:

1	District Collector	Chairman	
2.	Chairman, Zila Parishad	Co- Chair Person	
3.	District Chief Executive Officer	Member	
4.	District Superintendent of Police	Member	
5.	District Chief Medical Officer	Member	
б.	District senior most officer of Public Works	Member	
	Benertmani	·	
7	District Senior most officer of Water	Member	

As per provision of-section 25 (4) of the Act, Additional District Magistrate of the district is appointed as the Chief Executive Officer of District Disaster Management Authority.

Resources Department

सी. के. मैथ्यू,

Principal Secretary, Disaster Management & Relief.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।